रजिस्ट्री सं० डी.एल.--33004/95 REGD. NO. D.L.--33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (ii)
Part II--Section 3--Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 452] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 31, 1995/श्रावण 9, 1917
No. 452] NEW DELHI, MONDAY, JULY 31,1995/SRAVANA 9, 1917

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1995

का.आ. 682(अ).--केन्द्रीय सरकार, विकास परिषद (प्रक्रिया) नियम, 1952 के नियम 2, 4 और 5 के साथ पठित उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार में उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग के दिनांक 12

जनवरी, 1995 की अधिसूचना सं. का.आ. 36 (अ)का आंशिक संशोधन करते हुए, साबुन और अपमार्जक (डिटर्जेन्ट्स) उद्योग विकास परिषद के गठन में निम्नलिखित संशोधन किये जाते हैं :--

1. क्रम सं. 1 के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ा जाए :--
 श्री वी.के. शुंगलू,
 सचिव,
 औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग,
 उद्योग भवन,
 नई दिल्ली ।
2. क्रम सं. 2 के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ा जाए :--
 श्री अशोक कुमार,
 संयुक्त सचिव,
 औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग,
 उद्योग भवन,
 नई दिल्ली. ।
3. क्रम सं. 18 के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ा जाए :--
 श्री रामनाइक सी. दोषी, अध्यक्ष,
 नॉन-पावर सोप मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन,
 बंबई ।

[फा. सं. 14/5/94-डीपीआर/ईजीओएस]
अशोक कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Policy and Promotion)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 24th July, 1995

S.O. 682(E).--In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), read with Rules 2, 4 and 5 of the Development Council (Procedural) Rules, 1952 and in partial modification of the Notification No. S.O. 36(E) dated 12th January, 1995 of the Government of India in the Ministry of

Industry, Department of Industrial Development, the following amendments are made in the constitution of the Development Council for Soaps and Detergents Industries :--

1. Sl. No. 1 is amended to read as under :--
 Shri V.K. Shunglu,
 Secretary,
 Deptt. of Industrial Policy and Promotion,
 Udyog Bhavan,
 New Delhi.
2. Sl. No. 2 is amended to read as under :--
 Shri Ashok Kumar,
 Joint Secretary,
 Deptt. of Industrial Policy and Promotion,
 Udyog Bhavan,
 New Delhi.
3. Sl. No. 18 is amended to read as under :--
 Shri Ramnaik C. Doshi,
 Chairman,
 Non-Power Soap Manufacturers' Association,
 Bombay.

[F. No. 14/5/94-DPR/EGGS]
ASHOK KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-1100054 1995